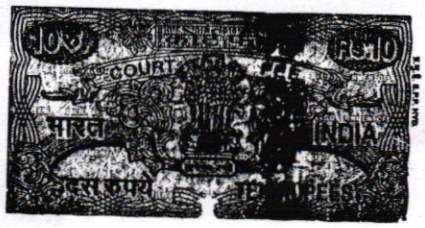

न्यायालय श्रीमान् म. प्र. राजस्व मण्डल ग्वालियर मोतीमहल ग्वालियर.

PBR/ निगरानी/ मंदसौर/ भू.रा./2018/0882

1- गोपाल पिता लछमन जाति गायरी, उम्र 58 वर्ष

2-बगदीबाई विधवा लछमन जाति गायरी, उम्र 78 वर्ष,

3-पार्वतीबाई विधवा राधेश्याम गायरी, उम्र 58 वर्ष,

4-कारीबाई पति गोपाल गायरी, उम्र 48 वर्ष,

5-ऊंकारलाल पिता लछमन गायरी, उम्र 48 वर्ष,

6-सुगनाबाई पति ऊंकारलाल गायरी, उम्र 32 वर्ष,

7-कैलाश पिता ऊंकारलाल गायरी उम्र 28 वर्ष,

8- पुखराज पिता ऊंकारलाल गायरी, उम्र 20 वर्ष,

सभी निवासीयान पानपुर परगना मंदसौर, जिला मंदसौर ... आवेदकगण

R. M.
श्री आर के शर्मा
अभिभाषक द्वारा
प्रस्तुत
11-1-2018
05

बनाम

1-मांधुसिंह पिता गोतमसिंह उम्र 58 वर्ष,

2- शिवमंगलसिंह पितागौतमसिंह उम्र 46 वर्ष,

3-धनसिंह पिता युगलसिंह उम्र 37 वर्ष,

सभी निवासीयान पानपुर तह. मंदसौर, जिला मंदसौर ---- अनावेदकगण।

माननीय महोदय,

रिविजन प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 50 मध्यप्रदेश भु-राजस्व संहिता 1959 न्यायालय नायब तहसीलदार परगना मंदसौर के प्रकरण क्रमां 7/अ 13/2015-16 में पारित आदेश दिनांक 30.12.2017 से परिवेदित होकर अन्दर म्याद पेश है :-

रिविजन के संक्षिप्त तथ्य निम्नवत् है :-

(1) यह कि ग्राम पानपुर परगना मंदसौर स्थित आवेदक नं. 1,3,5 सर्वेनं. 982/1 क्षेत्र 0.418 जिसके पूर्वभाग उत्तर-दक्षिण चौड़ाई पर रास्ता कायम करने हेतु अनावेदकगण ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131 व धारा 32

XXIX(a)-BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश - ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - पीबीआर/निगरानी/मन्दसौर/भू.रा./2018/0882

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
4/7/18	प्रकरण का अवलोकन किया एवं आवेदक अधिवक्ता के तर्कों पर विचार किया तथा आलोच्य आदेश का अवलोकन किया। आलोच्य आदेश को देखने से स्पष्ट है कि यह प्रकरण रास्ते के विवाद से संबंधित है। अनावेदकगण द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष संहिता की धारा 131 तथा 32 के तहत आवेदन प्रस्तुत कर स्थित ग्राम पानपुर स्थित सर्वे नं. 982 में स्थित रास्ता आवेदकगण द्वारा अवरुद्ध कर दिए जाने से रास्ता खुलवाये जाने का निवेदन किया गया। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा समस्त दस्तावेजों एवं स्थल निरीक्षण पंचनामा व नजरी नक्शा का विधिवत अवलोकन करने के उपरांत रास्ता खोले जाने हेतु अंतरिम आदेश पारित किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा यह स्पष्ट किया गया है कि उक्त अंतरिम आदेश का प्रकरण के अंतिम आदेश पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय के आदेश प्रथम दृष्टया न्यायिक एवं विधिसम्मत प्रतीत होता है, जिसमें हस्तक्षेप किए जाने का कोई आधार नहीं है। दर्शित् परिस्थिति में यह निगरानी आधारहीन होने से अग्राह्य की जाती है। **प्रशासकीय सदस्य**	